

तारीख हुक्म

ओमप्रकाश पाल, राजीत कोठ
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख में
जारी हुए

04-08-2010

पत्रावली पासे लिखित प्रत्युत ड्रॉ फील प्रार्थी के प्रार्थन के
अंशित तर्कों को दोहाते हुए क्लर की प्रार्थी के पिता। दादा
वजपाती पद दादा के नाम से पद 4 R.M. रणता सं 2011
पं 113/50(6) के डिजेंड। ता 21 साहाय व डिजेंड 22। में
0.2400 हें, 23। 0.1640 हें, 24। 0.0760 हें, 25। में 0.1260
हें कुल 5.919 हें श्रमि जातेपारी दर्ज राजस्व रिफार्ड होकर प्रार्थी
एवं अशार्थीगण के दादा। पिता के जीवणकाल में उनके कृपा का रत
में चली भा रही है प्रार्थी एवं अशार्थीगण के दादा। पिता कपारी
को ले चुके है प्रार्थी एवं अशार्थीगण कपारी के जाकर पादि है
प्रकृत रक्ष में नदेक का 1। 2. 1। 2 कला है अशार्थीगण सं.
। ता 3 चतु व पलाक है वह उहा रक्ष विपत्त। रेट। राल
दर्ज फुपाकर उहा रक्ष में से अच्छा रक्ष का बेपान
करने पर उता है उहा रक्ष प्रार्थी का पिता। रक्ष रक्ष है
अशार्थीगण सं। ता 6 एफ। ड होकर अच्छा रक्ष विपत्त
करने की धनकी सी है मां अशार्थीगण के जैरप्रकरण कुरुका
बेपान का रिक्ष तो प्रार्थी के मा श्रु लेते पला कुरुका होगा
अतः प्रार्थी का स्वीकार अशार्थीगण को वासंठ डिन कड़े की
पह पंरवाद रक्ष को रक्ष, बेबाक न को ल्या मांग एवं
रिक्ष की यथा। भवति कला रजे

फील अशार्थी सं। ता 2 ने प्रार्थी का निराधार
लेने से निरक्ष अशार्थी का निरक्ष डिना

पत्रावली में सेलन पलासेजे का गहनाता जे
अध्ययन डिना व कस पर मनन डिना जैरपाद रक्ष
प्रार्थी अशार्थीगण के पिता। दादा के नाम दर्ज रिक्ष है
प्रार्थी एत मपडे पिता के नाम अंशित श्रु की छोपना व
आता विभाजक पला है पिता। रक्ष रिक्ष डिना दर्ज लो पद उहा
रक्ष उजे पादि। के कदि। रक्ष दर्ज होगा अशार्थीगण
पिदि। रिक्ष बेबाक न को ल्या मांग है प्रथम रक्ष माता व
पुदि। रक्ष का संगलन, अशार्थीगण अति प्रार्थी नही लेनी है प्रार्थी
अशार्थीगण डिना दादा उचित प्रार्थी होता है

(Signature)



फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला-श्रीगंगानगर

किस्म मुकदमा:- 212 R.T.A.

प्रकरण संख्या:- 151

पार्थना पत्र

भोमशकाश 4/1 रणपीत वर्गे

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

04.07.2020

उपरोक्त विषय में माथ्या पर प्राप्ति पर शर्त आधारी
होते से अम्बिका उभा प्रता ही कम्पली बंधन के मय होकर
पाविल प्रता हो

निर्णय हुले जामाल में दुगना गभा

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ